न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 11 / 2024
अनवान :–

1. मागेंराम पुत्र मनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जनानिया तहसील नोहर।
सायल

बनाम्

1. मुन्शीराम पुत्र अर्जन जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अभिभाषक, प्रार्थी
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी.1

निर्णय दिनांक : 27/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 105 / 103 की कुल 1.0750हैक् भूमि सायल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हैं इसीप्रकार रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 108 / 10 की कुल 2.1500हैक् भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है

सायल व गैरसायल के खेत एक दुसरे के चिपते हुए है तथा सायल स्वीकृतशुद्वा रास्ता से चलते हुए गेरसायल के खेत रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 108 / 10 के प0न0 374 / 387 (50) के किला न0 1 व 2 पूर्व से पश्चिम की तरफ उतरी साईड से चलकर अपने खेत के प0न0 374 / 387 (50) के किला न0 3 में प्रवेश कर जाते है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक एवं नजदीकी रास्ता है जिसका उपयोग प्रार्थी हमेशा से करता आ रहा है किन्त राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ता स्वीकृत नही है।

उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने के कारण कभी भी गैरसयाल सायल के आवागमन में बाधा उत्पन्न कर सकता है इसलिये सायल उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है जिसके लिये सायल भूमि व डीएलसी दर से राशि देने को तैयार है।

सायल ने गैरसायल को कई मर्तबा कहा की उक्त रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 108 / 10 के प0न0 374 / 387 (50) के किला न0 1 व 2 पूर्व से पश्चिम की तरफ उतरी एक गठठा अथात 0.013हैक् रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेरसयल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया जाकर ईकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बह[illegible]ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की [illegible] के खाता संख्या 105 / 103 की कुल 1.0750हैक् भूमि सायल [illegible]दार काश्तकार [illegible] इसीप्रकार

रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता [illegible]या 108 / 10 की कु[illegible]500हैक् भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:25:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

सायल व गैरसायल के खेत एक दुसरे के चिपते हुए है तथा सायल स्वीकृतशुद्वा रास्ता से चलते हुए गेरसायल के खेत रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 108/10 के प0न0 374/387 (50) के किला न0 1 व 2 पूर्व से पश्चिम की तरफ उतरी साईड से चलकर अपने खेत के प0न0 374/387 (50) के किला न0 3 में प्रवेश कर जाते है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक एवं नजदीकी रास्ता है जिसका उपयोग प्रार्थी हमेशा से करता आ रहा है इसलिये रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की सायल एव गैरसायल दोनो एक दुसरे के चिपते काश्तकार है गैरसायल की भूमि सडक के चिपते हुए सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये गैरसायल की भूमि में से ही जाना होता है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है तथा सायल ने रास्त के बदले में आने वाली भूमि की डीएलसी दर से राशि प्राप्त कर ली है इसलिये गैरसायल की भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 105/103 की कुल 1.0750हैक्‍ भूमि सायल के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हैं इसीप्रकार रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 108/10 की कुल 2.1500हैक्‍ भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है

सायल का कथन है कि सायल स्वीकृतशुद्वा रास्ता से चलते हुए गेरसायल के खेत रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 108/10 के प0न0 374/387 (50) के किला न0 1 व 2 पूर्व से पश्चिम की तरफ उतरी से अपनी भूमि में प्रवेश करता है जिसे सायल स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है सायल के कथनों को गैरसायल संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया गया है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है तथा रास्ते की भूमि के बदले में डीएलसी दर से राशि प्राप्त कर ली गई अन्य कोई रिलिफ नही चाहिये ।

इसप्रकार सायल के कथनो को गैरसायल संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है ।

अतः सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति साक्ष्य सबुतों के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 108/10 के प0न0 374/387 (50) के किला न0 1 व 2 पूर्व से पश्चिम की उतरी पासा की भूमि में एक एक गठठा अर्थात 0.013हैक्‍ रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/5/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:25:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2020 / 508

दिनांक 28/05/24

तहसीलदार,
नोहर

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना-पत्र सं0 90 सन 2021 निर्णय दिनांक - 27/05/2024

अनवान :-

अनवान :-

1. मागेंराम पुत्र मनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जनानिया तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1 मुन्शीराम पुत्र अर्जन जाति कुम्हार निवासी जनानिया तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

-गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 108 / 10 के प0न0 374 / 387 (50) के किला न0 1 व 2 पूर्व से पश्चिम की उतरी पासा की भूमि में एक एक गठठा अर्थात 0.013हैक रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:25:00 IST
Reason: SelfAttested